न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

प्रा0पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/02/2021	2021/4	08-10-2021	01-11-2021

01– सरकार जरिये उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी

—सायल

बनाम

01– रंगलाल मीणा पुत्र जगदीश प्रसाद मीणा निवासी ढीगी पेडीवाला तहसील थानागाजी ट्रेलर संख्या आ.जे.32 जी.ए. 4149 का ड्राईवर

02–हरिओम शर्मा पुत्र भागीरथ शर्मा प्रोपराईटर मै.शर्मा खाद बीज भण्डार सिलिसेढ तिराहा।

03–गोपाल निवासी किशोरी तहसील थानागाजी जिला अलवर।

—गैर सायल

प्रा0पत्र विरूद्ध धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985

उपस्थित–
01–के.के.शर्मा
02–सुभाष शर्मा

—वकील गैर सायल

–निर्णय–

सहायक निदेशक कृषि (वि0) राजगढ ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए सहपठित उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 30.12.2020 को पुलिस चौकी अकबरपुर के सामने यूरिया उर्वरक से भरे ट्रेलर आर.जे. 32 जी.ए. 4149 के ड्राईवर से यूरिया उर्वरक के सम्बन्ध में जानकारी की गई । ट्रेलर ड्राईवर श्री रंगलाल मीणा ने बताया कि सिलीसेढ तिराया स्थित मै0शर्मा खाद बीज भण्डार के मालिक श्री हरिओम पुत्र भागीरथ शर्मा ने उक्त यूरिया खाद के 250 कट्टे मेरी गाडी में रखवाये है, जिसको मुझे गांव किशोरी में श्री गोपाल के यहां उतारने है। इसका मुझे बिल्टी, बिल वगैरा नहीं दिया है। उक्त 250 भरे हुए कट्टे श्रीराम ब्राण्ड यूरिया उर्वरक के है। उक्त यूरिया उर्वरक अवैध कारोबार के तहत कालाबाजारी हेतु ले जाया जा रहा था। उक्त यूरिया उर्वरक के 250 कट्टे एवं ट्रेलर आर.जे.32 जी.ए. 4149 जप्त कर पुलिस चौकी अकबरपुर को सुपुर्द किया गया। उक्त कारोबार में संलिप्तता के मद्दे नजर ट्रेलर ड्राईवर श्री रंगलाल मीणा, हरिओम शर्मा, प्रोपराईटर मै0 शर्मा खाद बीज भण्डार एवं श्री गोपाल निवासी किशोरी तहसील थानागाजी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 6 व 7 के तहत प्रस्तुत की गई। सहायक निदेशक कृषि (वि0)राजगढ ने उक्त प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत जप्त अवैध उर्वरक को राजसात करने एवं निस्तारण करने का निवेदन किया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर

प्रमाणित फोटो प्रति

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब किये गये एवं प्रकरण में तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी अलवर से रिपोर्ट ली गई। अप्रार्थी संख्या–01 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या–01 वाहन ट्रेलर रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे.32 जी.ए. 4149 का मालिक व चालक है। दिनांक 30.12.2020 को मिन अप्रार्थी संख्या–01 अपने वाहन ट्रेलर संख्या आर.जे.32 जी.ए. 4149 में यूरिया उर्वरक 250 कट्टे जो काश्तकारों ने खरीद कर रखे थे। उन्हें गांव देहलावास, बख्तापुरा, किशनपुर आदी जो गांव एक दूसरे से लगे हुए हैं पहुंचाने के लिये ट्रक में रखे थे मेरे द्वारा कोई किरायाभाडा काश्तकारों से प्राप्त नहीं किया था। इसी दौरान ट्रक का सैल्फ खराब हो गया जिसे सही कराने गाडी को अकबरपुर ले जाने हेतु रोड पर खडी कर रखी थी उसी समय पुलिस ने खडी गाडी को गलत प्रकार से पकड लिया उक्त प्रकरण से अप्रार्थी संख्या–01 का कोई लेना देना नहीं है न ही किसी प्रकार की कोई कालाबाजारी का अपराध कारित किया जा रहा था। अप्रार्थी संख्या–01 को उक्त प्रकरण में गलत फंसाया है। अप्रार्थी संख्या–02 ने अपने जवाब में कथन किया कि पुलिस चौकी अकबरपुर में खडे ट्रक जिसे पर यूरिया उर्वरक भरा था उसके सम्बन्ध में मिन अप्रार्थी संख्या–02 को कोई जानकारी नहीं है किन्तु पुलिस चौकी वालों ने अवैध रूप से ट्रक को पकडा है। मिन अप्रार्थी हरिओम शर्मा सिलीसेढ तिराये पर शर्मा खाद बीज भण्डार के नाम से कार्य करता है लेकिन यह कथन गलत है कि उक्त ट्रेलर में मेरे द्वारा 250 खाद के कट्टे बिना बिल बिल्टी के रखवाकर गांव किशोरी के श्री गोपाल को भिजवाये है। मिन अप्रार्थी ने यूरिया खाद का विक्रय अपनी पोस मशीन द्वारा काश्तकारों को किया है जिस पोस मशीन में प्रत्येक काश्तकार जिनको यूरिया दिया गया है उनके आधार कॉर्ड नम्बर दर्ज है। उक्त यूरिया अवैध कारोबार के तहत कालाबाजारी हेतु नहीं ले जाया जा रहा था। यूरिया खाद के कट्टो को गलत तौर पर पुलिस चौकी को सुपुर्द किया है जिसका कोई अधिकार नहीं है। थाना मालाखेडा में 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है, जो बिल्कुल गलत है। गाडी में तकनीकी फाल्ट होने के कारण अकबरपुर गई थी। अप्रार्थी द्वारा समस्त विक्रय कानून के मुताबिक किया गया है । अप्रार्थी संख्या–3 ने अपने जवाब में कथन किया कि उक्त जप्त शुदा यूरिया उर्वरक 250 कट्टो से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी हरिओम शर्मा खाद बीज भण्डार सिलीसेढ तिराहा वाले को नहीं जानता हूँ।

उपखण्ड अधिकारी अलवर ने अपनी जांच रिपोर्ट पत्रांक न्याय/2021/177 दिनांक 17.02.2021 में अवगत कराया कि तहसीलदार अलवर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त खाद के कट्टे दिनांक 30.12.2020 को प्रार्थीगणों द्वारा शर्मा खाद बीज भण्डार सिलीसेढ तिराया से क्रय की जाकर ट्रैलर संख्या आर.जे.32 जी.ए. 4149 से परिवहन के लिये काम में लिया गया। दुकान संचालक द्वारा किसानों को विक्रय की गई खाद की रसीदें जांच रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की गई है। प्रत्येक रसीदों पर आधार कार्ड के नम्बर एवं मात्रा आदी का विवरण अंकित है।

अप्रार्थी संख्या–02 ने जिन काश्तकारों को श्रीराम यूरिया खाद पोस मशीन से आधार कॉर्ड नम्बर डालकर विक्रय किया था उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भी पेश किया है जिसमें काश्तकारान ने जप्तशुदा कट्टों को उन्हें दिलाये जाने का निवेदन किया है।

सत्यापित फोटो प्रति

हमने वकील अप्रार्थी की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी हरिओम शर्मा पुत्र भागीरथ शर्मा ने अपने जवाब के साथ उक्त खाद के विक्रय की पोस मशीन की रसीद एवं आधार कॉर्ड की छाया प्रतियां पेश की है। सहायक निदेशक कृषि विस्तार अलवर द्वारा कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में मामला एफ.आर. अदम वकू मानकर पत्रावली [illegible] नहीं जाने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध साक्ष्य अभाव के कारण कोई अपराध प्रमाणित नहीं होने पर एफ.आर. स्वीकार की गई है जिसकी प्रमाणित प्रति अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है। मैसर्स

खाद बीज भण्डार के लाईसेंस नम्बर आर.एफ./एग्री./3084 जो एफ.आई.आर.दर्ज होने पर निलंबित किया गया था, को आयुक्त कृषि एवं अपील ऑथोरिटी पन्त कृषि भवन जयपुर द्वारा दिनांक 18.8.2021 को बहाल किये जाने की प्रति अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई।

काश्तकारान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जिसमें काश्तकारान ने यह अंकित किया है कि उनके द्वारा दिनांक 30.12.2020 को शर्मा खाद बीज भण्डार सिलीसेढ़ तिराया अलवर से श्रीराम यूरिया खाद खरीदा गया खरीद करते समय प्रार्थी गण द्वारा अपने आधार कार्ड प्रस्तुत करने पर शर्मा खाद बीज भण्डार के मालिक द्वारा पोश मशीन में उनका अंगूठा लगवाकर खाद के कट्टे वितरित किये थे। काश्तकारान द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ बिल प्रस्तुत कर खाद दिलाये जाने का निवेदन किया। उपखण्ड अधिकारी अलवर/तहसीलदार अलवर एवं काश्तकारान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया सहायक निदेशक कृषि (वि0) राजगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सिद्ध नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त जब्तशुदा 250 कट्टे श्रीराम यूरिया खाद को काश्तकारान को वितरण करवाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः सहायक निदेशक कृषि (वि0) राजगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए सहपठित उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 सिद्ध नहीं होने पर खारिज किया जाता है। जब्तशुदा 250 कट्टे श्रीराम यूरिया खाद जो कि पुलिस चौकी अकबरपुर में जमा है, को मै0 शर्मा खाद बीज भण्डार सिलीसेढ़ तिराया अलवर को काश्तकारान को वितरण करने हेतु रिलीज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त निर्णय सिविल न्यायालय के निर्णयाधीन रहेगा। निर्णय की प्रति थानाधिकारी मालाखेड़ा/चौकी इन्चार्ज पुलिस चौकी अकबरपुर थाना मालाखेड़ा को विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल से शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर

निर्णय आज दिनांक 01.11.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर